



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना।

Email -directoracademic.bsebpatna@gmail.com



पत्रांक- BSEB(SS)/Coll-Estab/879/D-2024

पटना, दिनांक 12/03/2024

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

सेवा में,

प्राचार्य,

कॉलेज स्टाफ कमिस
पटना-800 009

H.A./ All Teaching & Non-Teaching
Staffs & Students

12/03/24

विषय: विभागीय संकल्प के आलोक में अंगीभूत एवं डिग्री संबद्ध महाविद्यालयों में 01.04.2024 से इंटर की पढ़ाई पर रोक लगाने के संबंध में।

प्रसंग: ज्ञापांक-11/वि0-11-09/2024-587, दिनांक:-21.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन संकल्प के द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित अंगीभूत एवं डिग्री महाविद्यालयों में वर्तमान में संचालित इंटर स्तर की पढ़ाई को समाप्त कर अकादमिक सत्र 01.04.2024 से पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरस्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक-11/वि0-11-09/2024-587, दिनांक:-21.02.2024 के द्वारा दी गई है।

(2) अतएव उपरोक्त के आलोक में आपके महाविद्यालय में 01.04.2024 से इंटर की पढ़ाई पर रोक लगाई जाती है। साथ ही सत्र 2023-25 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकित छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना



बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्तमान में संचालित इन्टर स्तर की पढ़ाई को समाप्त कर अकादमी सत्र 01.04.2024 से पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 के तहत देश में 10+2+3 शिक्षण व्यवस्था का नीतिमूलक निर्णय है। वर्तमान में राज्य में (+2) स्तर की पढ़ाई विद्यालयों, महाविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वीकृति प्राप्त महाविद्यालयों में दी जा रही है। विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित है कि महाविद्यालयों से इन्टर की शिक्षा को अलग किया जायेगा। उक्त प्रावधान के तहत (+2) विद्यालयों एवं राजकीय/ राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा अन्य प्रासंगिक विषयों के लिए (+2) स्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने एवं महाविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वीकृति प्राप्त महाविद्यालयों में दी जा रही (+2) स्तर की पढ़ाई को अलग करने की आवश्यकता है।

2. वर्ष 2006 में पटना विश्वविद्यालय में अवस्थित विभिन्न महाविद्यालयों से इन्टर स्तर की शिक्षा समाप्ति के उपरांत अन्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय से (+2) स्तर की शिक्षा को अलग किया जाना था, ताकि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (+2) स्तर की शिक्षा दी जा सके। परन्तु उस समय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी एवं पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के अभाव में पटना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से (+2) स्तर की शिक्षा की समाप्ति नहीं हो सकी।

3. राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना का बड़े पैमाने पर निर्माण कराया गया है एवं निर्माण कार्य



चल रहा है। साथ ही विशेष अभियान चला कर 67,961 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 65,737 माध्यमिक शिक्षक का नियोजन/नियुक्ति की गयी है। वर्तमान में आधारभूत संरचना एवं विषय विशेष के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य में अवस्थित केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (+2) स्तर की शिक्षा का संचालन किया जाए।


4. राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्तमान में संचालित इन्टर स्तर की पढ़ाई को समाप्त कर सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

6. उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


21.2.24

(संजय कुमार)


अपर सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०-11-09/2024-587

पटना, दिनांक 21/02/2024

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


21.2.24

अपर सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11 / वि०-11-09 / 2024-587

प्रतिलिपि : महामहिम कुलाधिपति के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 21/02/2024




अपर सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11 / वि०-11-09 / 2024-587

प्रतिलिपि : कुलपति / कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 21/02/2024



अपर सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11 / वि०-11-09 / 2024-587

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 21/02/2024




अपर सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11 / वि०-11-09 / 2024-587

प्रतिलिपि:- विद्वान महाअधिवक्ता उच्च न्यायालय पटना / महालेखाकार बिहार पटना / प्रधान सचिव वित्त विभाग / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा प्रदायक, बिहार / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 21/02/2024



अपर सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।